

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 18/02/2020

—::आदेश::—

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण बाबत् हस्तान्तरित पांच विभागों की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलूओं पर समग्र रूप से विचार करने तथा अधिकारों के हस्तान्तरण को सार्थक एवं सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु मंत्रिगण की समिति का एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|--------|
| 1. श्री सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री | संयोजक |
| 2. मार्टर भंवरलाल मेघवाल,
मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं
सहायता विभाग। | सदस्य |
| 3. श्री लालचन्द कटारिया,
मंत्री, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग। | सदस्य |
| 4. श्री रघु शर्मा,
मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा
विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। | सदस्य |
| 5. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, राज्यमंत्री,
शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक) (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन
विभाग, देवस्थान विभाग। | सदस्य |
| 6. श्रीमती ममता भूपेश, राज्यमंत्री,
महिला एवं बाल विकास विभाग, (स्वतंत्र प्रभार), जन अभाव
निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ विभाग। | सदस्य |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण / राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव